।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर ।।

प्रैस–नोट

दिनांकः– 10.01.2019

ए0टी0एम0 को हैंग कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

गिरोह के दो सदस्यों किया गिरफ्तार

1. **थाना भुसवरः–** जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर श्री हैदर अली जैदी ने बताया कि कस्बा भुसावर में आये दिन एटीएम से ठगी होने की शिकायतें मिलने से इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशानों की धरपकड हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए0डी0एफ0 भरतपुर श्री प्रकाश शर्मा के निर्देशान में व वृताधिकारी वृत भुसावर श्री महेन्द्र शर्मा के नेतृत्व में थानाधिकारी थाना भुसावर श्री जितेन्द्रकुमार पु0नि0 मय जाप्ता की एक टीम का गठन कर ए0टी0एम0 मशीनों के आस–पास घूमने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर सतत निगरानी रखी गई थी। कल दिनांक 9.01.2018 को कस्बा भुसावर स्थित पी0एन0बी0 बैंक के ए0टी0एम0 के पास दो संदिग्ध युवक घूमते नजर आये जिनसे कारण पूछने पर कोई संतोषजनक जबाब नही देने पर उनको पूछताछ हेतु थाने पर लाकर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने नाम–पते **1. विष्णु पुत्र हरवीर जाति गुर्जर उम्र 20 साल निवासी हयातपुर थाना खोह व 2. प्रहलाद पुत्र छज्जी जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी अन्जारी थाना खोह** का होना बताया एवं उन्होंने बताया कि ए0टी0एम0 मशीनों को हैंक कर ठगी करने हेतु भुसावर आकर एटीएम मशीन के आस–पास घूमने व पूर्व में दिनांक 20.11.2018 को इस तरह की वारदात को

करने की बात स्वीकार करने से उक्त घटना को लेकर पूर्व में ही थाने पर दर्ज प्रकरण सं0 14/2019 धारा 420, 379 भा0द0स0 में उक्त दानों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उक्त आरोपियों ने कस्बा भुसावर के अलावा नदबई, कुम्हेर में भी इस तरह की बारदातें करना स्वीकार किया है। जिनसे गहनता से पूछताछ कर अनुसंधान जारी है तथा गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

तरीका वारदातः—

एटीएम मशीन पर जब एटीएम धारक पैसे विड्रोल करने के लिये एटीएम मशीन का उपयोग करता है तो एटीएम मशीन के बटन पर हाथ रखकर बटन को लगातार दबाकर रखकर एटीएम मशीन को हैंक करना तथा इसी दौरान एटीएम के पासवर्ड देख लेना तथा एटीएम से पैसे नहीं निकलने पर ए0टी0एम0 धारक को ए0टी0एम0 पर नेटवर्क नहीं आने की बात कह कर ए0टी0एम0 धारक को रवाना कर देना तथा उसके बाद एटीएम के बटन को अनप्रेस कर एटीएम मशीन के चालू होने पर राशि विड्रोल करना।

गैंग के अन्य सदस्यों के नाम पतेः—

(1) सद्दाम पुत्र ईसा जाति मेव निवासी बल्देववास थाना खोह।
(2) राकेश पुत्र लाखन जाति गुर्जर निवासी महतौली थाना भुसावर।
(3) दिनेश पुत्र बाबूलाल जाति गुर्जर निवासी महतौली थाना भुसावर।
(4) विनोद पुत्र प्रताप जाति गुर्जर निवासी हयातपुर थाना खोह।

अवैध शराब के मालिक को किया गिरफ्तार

1. **थाना भुसावरः—** दिनांक 30 जुलाई 2018 को तत्कालीन थानाधिकारी श्री बनैसिंह उ0नि0 मय जाप्ता को भगवानपुरा रोड पर बावर्दी आता देख एक महिन्द्रा जीप का अज्ञात चालक अवैध शराब से भरी जीप को छोडकर फरार हो गया था। पुलिस द्वारा मौके से 2478 अवैध देशी शराब व महिन्द्रा जीप नम्बर आरजे 05 यू0ए0 5465 को जप्त कर फरार अज्ञात जीप चालक के विरूद्ध थाने पर मु0नं0 380/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया था। श्री महेन्द्रसिंह हैड कानि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले में अवैध शराब के मालिक **1. हंसराम पुत्र हरज्ञानसिंह जाति गुर्जर निवासी कमालपुरा थाना भुसावर** को गिरफतार किया गया है। उक्त मामले में जीप चालक को पूर्व में ही गिरफतार किया जा चुका है।

ध्वनि प्रदूषण के मामलों 3 आरोपी पुलिस शिकंजे में

1. **थाना हलैना:–** श्री बद्रीप्रसाद हैड कानि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त व नाकाबंदी के दौरान वैर रोड कस्वा हलैना से ट्रैक्टर चालक **1. हेतराम पुत्र शिवलाल जाति मीणा निवासी करीरी थाना टोडाभीम जिला करौली** को ट्रैक्टर में लाउडस्पीकर लगाकर सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में गाने बजाते हुये पाये जाने पर आरोपी को गिरफतार कर स्पीकर, डेक मशीन, मैमारी कार्ड को जप्त कर थाने पर मु0नं0 11/19 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्व किया गया है।
2. **थाना भुसावर:–** श्री दामोदरलाल स0उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त व नाकाबंदी के दौरान कस्वा भुसावर से ट्रैक्टर चालक **1. समयसिंह पुत्र खिल्लूराम जाति जाटव निवासी दहवा थाना कुम्हेर** को ट्रैक्टर में लाउडस्पीकर लगाकर सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में गाने बजाते हुये पाये जाने पर आरोपी को गिरफतार कर स्पीकर, डेक मशीन, मैमारी कार्ड को जप्त कर थाने पर मु0नं0 23/19 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्व किया गया है।
3. **थाना रूपवास:–** श्री बालकृष्ण स0उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा गस्त व नाकाबंदी के दौरान घाटौली मोड से ट्रैक्टर चालक **1. बनवारी पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी सैंपऊ जिला धौलपुर** को ट्रैक्टर में लाउडस्पीकर लगाकर सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में गाने बजाते हुये पाये जाने पर आरोपी को गिरफतार कर स्पीकर, डेक मशीन, मैमारी कार्ड को जप्त कर थाने पर मु0नं0 24/19 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्व किया गया है।

फर्जकारी के मामले में सगे भाई को किया गिरफ्तार

1. **थाना डीग:–** दिनांक 18 सितम्बर 2018 को कस्वा डीग निवासी महेशचंद पुत्र परसादीलाल जाति ब्राह्मण ने अपने ही बडे भाई दिनेशचंद व उसके लड़के के विरूद्ध प्रार्थी को कट्टे का भय दिखाकर 10 लाख रूपयों के चैक पर हस्ताक्षर करा लेने का एक मामला थाना डीग पर मु0नं0 531/18 धारा 120बी, 384 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध कराया था। श्री विजेन्द्रसिंह स0उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. दिनेशचंद पुत्र परसादीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कस्वा डीग** को गिरफतार किया गया है।

दहेज लोभी पति सलाखों के पीछे

1. **थाना नगरः–** गांव पैंडका थाना नगर निवासी श्रीमति सुशीला पत्नि राजेश पुत्री रूगन जाति गुर्जर ने गांव लाठकी थाना कठूमर जिला अलवर निवासी अपने ससुरालीजनों के विरूद्व प्रार्थिया को दहेज के लिये प्रताडित कर घर से निकाल देने का एक मामला दिनांक 16 नवम्बर 2018 को थाना नगर पर मु0नं0 402/18 धारा 323, 498ए, 406 भा0द0सं0 में पंजीवद्व कराया था। थानाधिकारी श्री राजेन्द्रकुमार शर्मा पु0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी प्रार्थिया के पति **1. राजेश पुत्र बलराम जाति गुर्जर निवासी लाठकी थाना कठूमर जिला अलवर** को गिरफतार किया गया है।

जानलेवा हमला करने के मामले में 2 आरोपी सालाखों के पीछे

1. **थाना चिकसाना**– गांव मालौनी थाना चिकसाना निवासी उत्तमचंद पुत्र रामकिशन जाति ब्राह्मण ने गांव के ही निवासी विष्णु वगैराह 7–8 जनों के विरूद्व एकराय होकर प्रार्थी व परिजनों के साथ लाठी–डण्डों से मारपीट कर जानलेवा हमला करने का एक मामला दिनांक 23 सितम्बर 2018 को थाना चिकसाना पर मु0नं0 322/18 धारा 323, 341, 336, 307, 504, 34 भा0द0सं0 में पंजीबद्व कराया था। श्री हरवीरसिंह हैड कानि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. विष्णु** व **2. महेश पुत्रान यादराम जाति ब्राह्मण निवासी मालौनी थाना चिकसाना** को गिरफतार किया गया हैं।

फर्जकारी के मामले में सगे भाई को किया गिरफ्तार

1. **थाना डीगः–** दिनांक 18 सितम्बर 2018 को कस्वा डीग निवासी महेशचंद पुत्र परसादीलाल जाति ब्राह्मण ने अपने ही बडे भाई दिनेशचंद व उसके लड़के के विरूद्व प्रार्थी को कट्टे का भय दिखाकर 10 लाख रूपयों के चैक पर हस्ताक्षर करा लेने का एक मामला थाना डीग पर मु0नं0 531/18 धारा 120बी, 384 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध कराया था। श्री विजेन्द्रसिंह स0उ0नि0 द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. दिनेशचंद पुत्र परसादीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कस्वा डीग** को गिरफतार किया गया है।

दलित उत्पीडन के मामले के 3 आरोपी पुलिस पकड़ में

1. **थाना डीगः–** गांव शीशवाडा थाना डीग निवासी देवीसिंह पुत्र रामखिलाडी जाति जाटव ने गांव के ही विजयसिंह पुत्र सुगडसिंह जाति जाट वगैराह 6–7 जनों के विरूद्ध प्रार्थी व परिजनों के साथ मारपीट कर घायल कर देने व जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का एक मामला दिनांक 11 दिसम्बर 2018 को थाना डीग पर मु0नं0 656/18 धारा 323, 341, 325, 326, 34 भा0द0सं0 व 3 एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में दर्ज कराया था। वृताधिकारी वृत डीग श्री अनिलकुमार आरपीएस द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **1. विजयसिंह पुत्र सुगडसिंह, 2. कैलाश पुत्र दुर्गी** व **3. प्रदीप उर्फ बन्टी पुत्र भूरी जातियान जाट निवासियान शीशवाडा थाना डीग** को गिरफ्तार किया गया है।

अवैध शराव सहित 4 जनों को धर दबोचा

331 पव्वा देशी व 5 लीटर कच्ची शराब बरामद

जिले में अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 331 पव्वा देशी व 5 लीटर अवैध कच्ची शराव जप्त कर 4 ब्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना सीकरीः–** श्री भरतलाल स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव लवान ढाणी के पास से **1. मुख्खी पुत्र लीला जाति जाटव निवासी लवान ढाणी थाना सीकरी** को 5 लीटर अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 10/19 धारा 16/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
2. **थाना खोहः–** श्री गोपालसिंह हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव निगोही से **1. मम्मल उर्फ भम्मल पुत्र समन्दर जाति गुर्जर निवासी नगला भिड़्या थाना खोह** को 104 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 04/19 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
3. **थाना नगरः–** श्री श्यामसिंह हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव पीरका से **1. बीरबल पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी खखावली थाना नगर** को 50 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 14/19 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

4. **थाना रूदावलः**– श्री बृजभानसिंह हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा रूदावल से **1. नाहरसिंह पुत्र भूपसिंह जाति ब्राह्मण निवासी नगला तुला थाना रुदावल** को 69 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 10/19 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
5. **थाना डीगः**– कल दिनांक 09 जनवरी 2019 को श्री हरवीरसिंह हैड कानि0 मय जाप्ता को कस्वा डीग में बावर्दी आता देख आरोपी अर्जुन पुत्र भूदर जाति जाटव निवासी कस्वा डीग अवैध शराब को मौके पर ही छोडकर भाग गया था। पुलिस द्वारा मौके से 60 पव्वा अवैध देशी शराब जप्त कर फरार आरोपी अर्जुन के विरूद्ध थाने पर मु0नं0 23/19 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
6. **थाना कामांः**– कल दिनांक 09 जनवरी 2019 को थानाधिकारी श्री परभातीलाल पु0नि0 मय जाप्ता को कस्वा कामां में बावर्दी आता देख आरोपी भुल्ली पुत्र रतनसिंह जाति गुर्जर निवासी कस्वा कामां अवैध शराब को मौके पर ही छोडकर भाग गया था। पुलिस द्वारा मौके से 48 पव्वा अवैध देशी शराब जप्त कर फरार आरोपी भुल्ली के विरूद्ध थाने पर मु0नं0 23/19 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

3 स्थाई वारंटी/वारंटी बन्द हवालात

जिला पुलिस द्वारा वारंटी/स्थाई वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान अलग–अलग स्थानों से 1 स्थाई वारंटी व 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना चिकसानाः**– श्री हरवीरसिंह हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव दारापुर खुर्द से स्थाई वारंटी **1. अनूपसिंह पुत्र मानसिंह जाति जाटव निवासी दारापुर खुर्द थाना चिकसाना** को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना गढीबाजनाः**– श्री हिम्मतसिंह हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव जैसोरा से वारंटी **1. वीरेन्द्र पुत्र मौहरसिंह जाति गुर्जर निवासी जैसोरा थाना गढीबाजना** को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना नदबईः**– श्री बीरबलसिंह स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव बहरामदा से वारंटी **1. अजय पुत्र जलसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा थाना नदबई** को गिरफ्तार किया गया है।

19 जुआरी/सटोरिया बन्द हवालात

10520 रूपये बरामद

भरतपुर पुलिस द्वारा जिले में जुआ/सट्टेवाजों के विरूद्व चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान कार्यवाही कर अलग–अलग स्थानों से 10520 ब्यक्तियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 19 रूपये नकद मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के जप्त किये गये हैं।

1. **थाना कोतवाली भरतपुरः**– श्री सुरेशचंद स0उ0नि0 द्वारा प्रताप कॉलौनी से **1. दिनेशकुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी डोगरा मौहल्ला थाना सदर मथुरा यू0पी0** को 350 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 15/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

2. **थाना मथुरागेटः**– मथुरागेट पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थनों से **1. केशवदेव पुत्र चिरंजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी रूँधियानगर थाना कोतवाली भरतपुर** व **2. आविद पुत्र चुम्मन जाति मुसलमान निवासी चौदह महादेव गली थाना मथुरागेट** को क्रमशः 1140, 1120 रूपये (कुल 2260 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 18, 19/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

3. **थाना सेवरः**– श्री योगेशकुमार हैड कानि0 द्वारा कस्वा सेवर से **1. भूरीसिंह पुत्र मुन्शीलाल जाति गुर्जर निवासी धाऊपायसा थाना अटलबंद** को 1380 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 28/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

4. **थाना नदबईः**– श्री भरतलाल हैड कानि0 द्वारा कस्वा नदबई से **1. मोहनसिंह पुत्र यादराम जाति कोली निवासी भदीरा थाना नदबई** को 185 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 23/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

5. **थाना भुसावरः**– भुसावर पुलिस द्वारा कस्वा भुसावर से **1. ताराचंद पुत्र हरिचरन, 2. फूलसिंह पुत्र मिठ्ठन जातियान जाटव निवासियान कस्वा भुसावर** तथा **3. हरकेश पुत्र हरसाहय जाति मीणा निवासी मैनापुरा थाना भुसावर** को क्रमशः 1010, 275 रूपये (कुल 1285 रूपये) मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 21, 23/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये है।

6. **थाना डीगः**— डीग पुलिस द्वारा अलग—अलग स्थानों से **1. महेन्द्र पुत्र गोपाल जाति गुर्जर निवासी परमदरा थाना खोह, 2. राजकुमार पुत्र प्रभूदयाल जाति जाटव निवासी कस्वा डीग** व **3. रघुवीरसिंह पुत्र चैनसुख जाति जाटव निवासी सांवई थाना डीग** को क्रमशः 510, 1020 रूपये (कुल 1530 रूपये) मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 21, 22/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये है।

7. **थाना कैथवाडाः**— श्री सुमेरसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा कैथवाडा से **1. जाहिद पुत्र रमजानी जाति मेव निवासी कस्वा कैथवाडा** को 1100 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 10/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

8. **थाना हलैनाः**— हलैना पुलिस द्वारा अलग—अलग स्थानों से **1. नरेन्द्र पुत्र बिरजू जाति दर्जी निवासी कस्वा हलैना** व **2. नारायणसिंह पुत्र हरिया जाति जाटव निवासी ललिता मूडिया थाना हलैना** को क्रमशः 320, 340 रूपये (कुल 660 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 09, 10/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये है।

9. **थाना वैरः**— थानाधिकारी श्री होशियारसिंह उ0नि0 द्वारा कस्वा वैर से **1. फिरोजखां पुत्र सलीमखां जाति मुसलमान निवासी कस्वा वैर** को 620 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 10/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

10. **थाना रूपवासः**— रूपवाप पुलिस द्वारा अलग—अलग स्थानों से **1. सत्यभान पुत्र विपतीराज** व **2. अनूपकुमार पुत्र कमलसिंह** तथा **3. संजयकुमार पुत्र बदनसिंह जातियान जाटव निवासियान रामनगर थाना रूपबास** को क्रमशः 230, 190, 220 रूपये (कुल 640 रूपये) मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 23, 25, 26/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये है।

11. **थाना चिकसानाः**— श्री भगवानसिंह हैड कानि0 द्वारा गांव आजादनगर से **1. विनोदकुमार पुत्र निनुआराम जाति बावरिया निवासी आजादनगर थाना चिकसाना** को 510 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 09/19 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

शराबी वाईक चालक पुलिस पकड में

1. **थाना उधोगनगरः–** श्री मुन्शीलाल हैड कानि0 द्वारा रीको क्षेत्र से शराव के नशे में वाईक चलाते हुए पाये जाने पर आरोपी वाईक चालक **1. जगवीरसिंह पुत्र दयाराम जाति जाट निवासी जिरौली थाना चिकसाना** को गिरफतार कर मोटरसाईकिल को एम0वी0 एक्ट के तहत जप्त किया गया है।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 6 जने गिरफ्तार

1. **थाना उधोगनगरः–** श्री भगवानसिंह हैड कानि0 द्वारा रीको क्षेत्र से 1. रिंकू उर्फ प्रेमपाल पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी मडरपुर थाना उद्योगनगर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना वैरः–** श्री नगेन्द्रसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा वैर से 1. वनी पुत्र परसुख जाति जाटव निवासी रतनपुरा थाना वैर, 2. भूपेन्द्र पुत्र गोपाल जाति जाटव निवासी नगला पचोरा थाना हलैना, 3. पप्पू पुत्र मौहरसिंह जाति माली व 4. फतेहसिंह पुत्र गोविन्दसिंह जाति कुम्हार निवासियान कस्वा वैर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना मथुरागेटः–** श्री कंचनसिंह हैड कानि0 द्वारा बिजलीघर चौराहा से 1. राजू पुत्र बाबूलाल जाति माली निवासी पक्काबाग थाना मथुरागेट को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में 15 जनों को किया गिरफ्तार

1. **थाना मथुरागेटः–** मथुरागेट पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. राजकुमार पुत्र मानसिंह जाति जाटव निवासी चर्च के पास थाना मथुरागेट, 2. ललित पुत्र सतीशचन्द जाति ओझा निवासी बछामदी थाना चिकसाना, 3. विजयपाल पुत्र रमेशचन्द जाति जाटव निवासी देवियानगला थाना गोवर्धन जिला मथुरा यू0पी0, 4. दनेश पुत्र आनन्द जाति राजपूत निवासी ढोलचा थाना बलैनी बागपत यू0पी0, 5. प्रहलाद पुत्र रमेश जाति खटीक निवासी गोलवाग रोड थाना मथुरागेट व 6. भूलसिंह पुत्र रमेश जाति योगी निवासी नैवाडी थाना हलैना को गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना सेवरः–** श्री धनपतसिंह स0उ0नि0 द्वारा गांधीनगर से 1. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति जाट व 2. सुभाष पुत्र हजारीलाल जाति पुजारी निवासियान गांधीनगर थाना सेवर को गिरफ्तार किया गया है।

3. **थाना भुसावरः–** श्री गोविन्दसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा भुसावर से 1. मुनेश पुत्र रामनारायन व 2. अमरसिंह उर्फ पिन्टू पुत्र जातियान मीना निवासियान मीनापुरा थाना भुसावर को गिरफ्तार किया गया है।

4. **थाना नगरः–** श्री गौरवकुमार उ0नि0 द्वारा थाना परिसर से 1. रामवीर पुत्र हरीसिंह जाति माली निवासी गंगावक थाना नगर को गिरफ्तार किया गया है।

5. **थाना नदबईः–** श्री बीरबलसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा नदबई से 1. करतार पुत्र जलसिंह जाति जाट निवासी बहरामदा थाना नदबई को गिरफ्तार किया गया है।

6. **थाना जुरहराः–** श्री पूरनसिंह हैड कानि0 द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. सागर पुत्र सतीश जाति हरिजन, 2. हसन पुत्र खुर्शीद जाति मेव निवासियान रूपनगर थाना बहीन जिला पलवल हरियाणा व 3. फजरू पुत्र राशिद जाति मेव निवासी सहसन थाना जुरहरा को गिरफ्तार किया गया है।

149 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 149 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड वाहनों से होंने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ऑवरलोड कार्यवाही में 63 वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी 16 वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, नो पार्किंग आदि के आरोप में 70 वाहन चालकों के विरूद्व कार्यवाही की गई है।